न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2016/00488
पत्थरगढ़ी प्रार्थना पत्र संख्या :– 64/2016

1. हरिनारायण पुत्र घीसाराम यादव, नि0 सुन्दरपुरा, तह0 आमेर, जिला जयपुर।

– – – प्रार्थी

बनाम

1. प्रभु पुत्र भूरा (फौत)
   1/1. अर्जुनलाल पुत्र स्व0 प्रभू
   1/2. राजेन्द्र पुत्र स्व0 प्रभू
   1/3. बाबुलाल पुत्र स्व0 प्रभू
   1/4. जगदीश पुत्र स्व0 प्रभू
   समस्त जाति गुर्जर, निवासी सुन्दरकाबास, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. मन्नी देवी पुत्री अर्जुनलाल
3. नंछी देवी पत्नि बाबूलाल
4. ममता देवी पत्नि जगदीश
5. भागा देवी पत्नि राजेन्द्र
   समस्त जाति गुर्जर, निवासी सुन्दरकाबास, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

– – – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128
सपठित धारा 111 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक :– 30.05.2025

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी ग्राम सुन्दरकाबास, तहसील आमेर, जिला जयपुर का निवासी है। प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम सुन्दरकाबास, तहसील आमेर, जिला जयपुर में ख0न0 88, 89 रकबा क्रमशः 0.63, 0.32 कुल रकबा 0.95 हैक्टे0 स्थित है, जिसका सीमाज्ञान पूर्व में

उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला जयपुर

दिनांक 01.06.2016 को श्रीमान तहसीलदार, आमेर जिला जयपुर के आदेशानुसार करवा लिया था, जिसका आदेश क्रमांक भू.अ./2016/2270, 71 दिनांक 01.06.2016 पर दर्ज था। उक्त आराजी की प्रार्थी पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि ग्राम सुन्दरकाबास, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित उक्त खसरा नम्बर 88, 89 की पत्थरगढ़ी आदेश करने की कृपा करें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी पूर्ण की गयी।

अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण हरिनारायण वगै0 की ओर से भूमि हाल ख0न0 88 व 89 वाके ग्राम सुन्दर का बास, तहसील आमेर, जिला जयपुर की पत्थरगढ़ी करवाने हेतु श्रीमान के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके संबंध में निवेदन है अप्रार्थीगण उत्तरदातागण ने विवादग्रस्त भूमि का सैटलमेंट विभाग के कर्मचारियों द्वारा गलत राजस्व रिकार्ड बना देने के कारण राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस को दुरूस्त किये जाने हेतु संशोधित वादपत्र बाबत राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस को जमाबंदी के अनुरूप दुरूस्ती करने हेतु अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट व सपठित धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया हैः– अप्रार्थीगण की खातेदारी की व कब्जे काश्त की भूमि साबिक मूल ख0न0 47, 48, 49, 50, 51 व 68 कुल किता 6 कुल रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा थे, उक्त भूमि के चकबंदी के बाइद चकबंदी (सैटलमेंट) अधिकारियों ने ख0न0 21 व 30, कुल किता 2 कुल रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा बनाये गये तथा उक्त भूमि के बाद में पुनः सैटलमेंट कार्य के दौरान सैटलमेंट कर्मचारियों ने हाल खसरा नम्बर 42, 43, 44 व 81 कुल किता 4 मूल रकबा 2.85 हैक्टे0 बनाये गये है। उक्त भूमि वाके ग्राम सुन्दर का बास, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित है। अप्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी का अंकन तो गत मूल राजस्व रिकार्ड के अनुरूप सही व दुरूस्त है तथा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नही है, लेकिन राजस्व रिकार्ड जमाबंदी से भिन्न नक्शा ट्रेस में कुछ गलती हो गई तथा नक्शा ट्रेस, मूल नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी के बराबर रकबे का नहीं होकर कम रकबे का हो गया, अर्थात नक्शे से रकबा बरारी करने से मुल प्रारम्भिक नक्शा तो सही व दुरूस्त है तथा मूल नक्शे से रकबा बरारी करने

Bsw
उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला जयपुर

पर तों 11 बीघा 5 बिस्वा भूमि का रकबा पूरा हो जाता है। लेकिन बाद में बनाये गये नक्शा ट्रेस में सहवन से लिपिकीय भूल से नक्शा ट्रेस मूल नक्शा, व जमाबन्दी से कम रबके का हो गया तथा प्राथीगण की भूमि हाल खसरा नम्बर 45, 45/683, 41 व 34 जो कि अप्रार्थीगण की भूमि के सीमाजोड है, में बढा दी गई है, अर्थात अप्रार्थीगण की भूमि इस भूमि में लगाई गई है तथा अन्य प्रार्थीगण की तथा भूमि हाल खसरा न. 88 व खसरा नम्बर 89 में भी अप्रार्थीगण की भूमि लगा दी गई है। जो कि राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही व भूल व लिपिकीय त्रुटी से हो गया है जिसका कोई कानूनी आधार नही है तथा उक्त भूल को दुरूस्त किया जाना व जमाबन्दी के अनुरूप किया जाना विधिक व न्यायिक रूप से आवश्यक है। अप्रार्थीगण की खातेदारी का मूल रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा के अनुसार ही जमाबन्दी में तो पूर्ण रकबा दर्ज है। लेकिन नक्शा ट्रेस के अनुसार रकबा बरारी करने पर 10 बीघा 13 बिस्वा भूमि होती है तथा अप्रार्थीगण की भूमि को प्रार्थीगण की भूमि में लगा दी गई है, तथा अप्रार्थीगण की भूमि इसी कारण से उनके खातेदारी जमाबंदी में दर्ज रकबे से नक्शा ट्रेस में अधिक भूमि है, अर्थात नक्शा ट्रेस में अप्रार्थीगण की भूमि को प्रार्थीगण के नक्शा ट्रेस में लगाकर बढा दी गई है। यह कार्य अमीन वगै0 राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही व भूल व लिपिकीय त्रुटि से हो गया है, जिसका कोई कानूनी आधार नही है तथा भूल को दुरूस्त किया जाना व नक्शा ट्रेस को जमाबंदी के अनुरूप किया जाना विधिक व न्यायिक रूप से आवश्यक है। सैटलमेंट कर्मचारियों या अन्य किसी भी कर्मचारी व अधिकारी को यह कतई हक्र व अधिकार नहीं है कि वे मूल नक्शा सीट व जमाबंदी के विपरीत नक्शा ट्रेस बनावे व विधिक प्रावधानों के अनुसार भी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के अनुरूप ही नक्शा ट्रेस बनना आवश्यक है, इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य नही है। अप्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि पर सम्पूर्ण रकबे 11 बीघा 5 बिस्वा की भूमि पर सअधिकार काबिज काश्त है, तथा कृषि करते आ रहें है व सम्पूर्ण भूमि का साबिक नक्शें के अनुसार ही उसकी सम्पूर्ण सीमाओं में खेती करके उपयोग–उपभोग करते आ रहे है, लेकिन अभी हाल ही में कुछ समय से प्रार्थीगण की नीयत में बेईमानी उत्पन्न हो गई है तथा वे उक्त गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर अप्रार्थीगण की भूमि को हडप करना चाहते है, इसके लिए प्रार्थीगण ने गत वर्ष जून–जुलाई माह में तहसीलदार आमेर से सीमाज्ञान करवाने की कार्यवाही

उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला जयपुर

शुरू की ताकि उक्त गलत नक्शे के आधार पर अप्रार्थीगण की भूमि को हड़प सके, उसके पश्चात प्रार्थीगण अब लगातार प्रयास कर रहे है कि वे अप्रार्थीगण को बेदखल करके अप्रार्थीगण की उक्त भूमि पर नाजायज कब्जा कर सके, प्रार्थीगण के उक्त कृत्यों के कारण अप्रार्थीगण को मान्य न्यायालय के समक्ष अपने अधिकारों की रक्षा हेतु एक वादपत्र/प्रार्थनापत्र पेश करना आवश्यक हो गया है जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष विचाराधीन है। अप्रार्थीगण ने जून–जुलाई 2016 में उक्त गलत नक्शा ट्रेस के आधार पर तहसीलदार आमेर से सीमाज्ञान की कार्यवाही करवाकर प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त भूमि में नाजायज रूप से कब्जा करने का पुनः प्रयास किया। प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण ने काफी समझाने का प्रयास किया तथा उसने आग्रह किया कि अप्रार्थीगण वर्षों से अपनी खातेदारी की भूमि पर काबिज काश्त है तथा अप्रार्थीगण के पास खातेदारी जमाबन्दी में दर्ज रकबे से अधिक की भूमि कब्जे में नही है लेकिन प्रार्थीगण नहीं माने तथा उन्होने अप्रार्थीगण को ऐलानियां धमकी दी कि वे हाल नक्शा ट्रेस के अनुसार जबरन कब्जा करेगें तथा उन्होंने यह भी धमकी दी की हम लोग जमाबन्दी वगै0 को नही मानते है, हम तो नक्शे के आधार पर ही भूमि लेकर रहेगें। अप्रार्थीगण ने व आसपास आस पडोस के अन्य व्यक्तियों ने प्रार्थीगण को समझा बुझा कर वापस लौटा दिया लेकिन उन्होने जाते जाते यह धमकी दी की वे वापस आयेगें तथा इस भुमि पर कब्जा कर के रहेगें। जुलाई 2016 के पश्चात प्रार्थीगण ने अभी हाल ही में अप्रेल 2017 में उसी प्रकार से नाजायज कब्जा करने का प्रयास किया गया जिसको अप्रार्थीगण द्वारा असफल कर दिया गया। प्रार्थीगण द्वारा किये गये उपरोक्त कृत्यों के कारण वाद कारण उत्पन्न हुआ है। जिस कारण से अलग से वाद/प्रार्थना पत्र श्रीमान मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया था जो मान्य न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। राजस्वकर्मियों द्वारा अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर की गई नक्शा ट्रेश में परिवर्तन प्रभाव शून्य अर्थात "नल एण्ड वोईड " है यह कार्य लापरवाही से किया गया है तथा लिपिकीय त्रुटि है, जिसको श्रीमान द्वारा कभी भी दुरूस्त किया जा सकता है। उपरोक्त वाद मान्य सक्षम राजस्व न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जिस वाद में पक्षकारान के हकों का निर्धारण होना शेष है। प्रार्थीगण हरिनारायण वगै0 सैटलमेन्ट विभाग द्वारा अवैध रूप से साबिक नक्शा ट्रेस से भिन्न बने हुए नक्शा ट्रेस से अप्रार्थीगण की कब्जे काश्त व

उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला जयपुर

खातेदारी की भूमि से इस पत्थरगढी के माध्यम से बेदखल करवाना चाहते है। जिसका उनको अधिकार नही है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है तथा खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार, तहसील आमेर ने पत्र क्रमांक भू.अ./1491 दिनांक 15.02.2024 के द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाई जिसका सार इस प्रकार है:– ग्राम सुन्दरकाबास, प0ह0 बीलपुर की जमाबदी संवत 2074–2077 के खाता संख्या 147 के ख0न0 88, 89 रकबा 0.95 है0 किस्म बा.3 घीसा पि0 मंगला हि0 1/5, जाति अहीर वगै0 के नाम दर्ज रिकार्ड है। ख0न0 88, 89 में उत्तरी भाग में ग्राम चकमनोहरपुर, प0म0 लखेर की सीमा लगी हुई है व पूर्व भाग में ख0न0 90 गै0मु0पहाड, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व दक्षिण भाग में ख0न0 93, 94, 87 घीसा पि0 मंगला वगै, जाति अहीर के नाम दर्ज है एवं पश्चिम उत्तरी छोर पर ख0न0 43 अर्जुन पि0 प्रभू उर्फ प्रभात हि0 1/8 जाति गुर्जर वगै0 के दर्ज रिकार्ड है। मौके व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। मौके पर उक्त खसरा नम्बर 88 व 89 एवं इनके चारो और फसल खडी है। अतः श्रीमान उक्त खसरा नम्बरान 88, 89 के फसल कटने के उपरान्त माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार पत्थरगढ़ी की पालना कर दी जावेगी।

::– आदेश –::

विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी अपनी खातेदारी की कृषि भूमि की सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, तहसील आमेर को आदेशित किया जाता है कि :–

01. प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ख0न0 88, 89 रकबा क्रमशः 0.63, 0.32 कुल रकबा 0.95 हैक्टे0 वाके ग्राम सुन्दरकाबास, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित की फीस पत्थरगढी प्रार्थी से प्राप्त कर राजकोष में जमा करवाये

उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला जयपुर

02. तहसीलदार, तहसीलद आमेर को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढी की कार्यवाही से पूर्व पडोसी खातेदारान को विधिवत सूचित किया जाकर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पादित करें।

03. राज्य सरकार के परिपत्र कमांक 13(28) राज ग्रुप–1/92 जयपुर दिनांक 07.08.1992 के आदेशानुसार खड़ी फसल एवं वर्षाकाल के समय पश्चात अनुमत समय में पालना सुनिश्चित की जावें।

04. तहसीलदार, आमेर को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढ़ी के माध्यम से एक पक्ष से दूसरे पक्ष को किसी तरह का कब्जा हस्तांतरण नही करें।

05. यदि मौके पर कब्जा संबंधी विवाद है तो इस आदेश के माध्यम से किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करें। कब्जा संबंधी मामलो में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 में पृथक से प्रावधान है। उस प्रक्रिया के माध्यम से ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

आज दिनांक 30/05/2025 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला – जयपुर

BSW

(बजरंग लाल स्वामी)
उपखण्ड अधिकारी
आमेर जिला जयपुर